13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 835—चार/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27--05--2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 65/2003—04/अपील

.....

1— नरेन्द्र सिंह पुत्र लटूरी सिंह

2— सत्यमान सिंह पुत्र लटूरी सिंह

निवासीगण— ग्राम चौम्हों, तहसील—अटेर

जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— अवधेश सिंह पुत्र श्री पाते सिंह

2— नारायण सिंह पुत्र श्री पातेसिंह

निवासीगण— ग्राम चौम्हों, तहसील—अटेर

जिला—भिण्ड, म0प्र0

3— शांतिकुमार पुत्र श्री कौशलाधीश

4— गुड्डू पुत्र श्री कौशलाधीश चतुर्वेदी

निवासीगण— ग्राम तरसोखर, तहसील अटेर

जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 9.11.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–05–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ग्राम चौम्हों ने विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम नावलीहार स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 2 रकबा, 0.35 है0 में से रकबा 0.17 है0 भूमि का नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश की गई। नामांतरण विवादित होने पर पटवारी द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय अटेर की ओर निराकरण हेतु अंतरित कर दिया। विचारण न्यायालय तहसीलदार अटेर ने प्र0क्र0 19/2002–03/अ–6 पर दर्ज किया तथा पारित आदेश दिनांक 13.11.2003 द्वारा अनावेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये आवेदकगण के नामांतरण आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 06/2003–04/अपील मा0 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 29.01.2004 द्वारा अनावेदकगण की अपील निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 65/2003–04/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27–05–2005 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये अनावेदकगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय तहसीलदार अटेर की ओर प्रत्यावर्तित किया गया कि वे प्रकरण में पुनः जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदार कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विचारण न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दोनों पक्षों को सुन कर विधि विधान के अनुसार आदेश पारित किया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्थिर रखा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने निरस्त कर दिया । आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सर्वे नं0 2 का है जो ग्राम

नावली हार से संबंधित है। उसी पर उसने नामांतरण चाहा है जबकि अनावेदकगण ने आपत्ति ग्राम तरसोखर के सर्वे नं0 7 से संबंधित है। अतः विचारण न्यायालय ने उनकी आपत्ति निरस्त करने में कोई भूल अथवा त्रुटि नहीं की । प्रकरण में अनावेदकगण ने अपना शिगिमियाना हक किसी भी साक्ष्य या सबूत द्वारा सिद्ध नहीं किया है तथा किबना साक्ष्य व सबूत के अनावेदकगण को शिकमीकाश्तकार नहीं माना जा सकता है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि इश्तहार पर आपत्ति करने का हक अनावेदकगण को नही रहता, जबकि वे अपने अधिवक्ता के साथ आपत्ति प्रारंभिक न्यायालय में करने गये तथा उनकी आपत्ति एवं साक्ष्य आदि ब्यानों को सुनकर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। इश्तहार जैसे तकनिकी आधारों को मद्दे नज़र रख कर किसी पक्षकार के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है । इसलिये प्रारंभिक न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर सही एवं विधिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । अपर आयुक्त ने प्रकरण को निर्देशों के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। जबकि प्रत्यावर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है उन सबका पालन तो प्रारंभिक न्यायालया ने पूर्ण ही कर दिया है तो उन बातों के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मैंने आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन करने पर पाया कि आवेदकगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । अनावेदकगण ने आपत्ति की । विचारण न्यायालय ने अनावेदकगण की आपत्ति का निराकरण किये बिना नामांतरण आदेश पारित कर दिया । तहसील न्यायालय ने मुख्य तौर पर इसलिये आपत्ति निरस्त की कि साक्षियों ने अपने कथन में खेत की चौहदी नहीं बताई किन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं किया कि खेत की चौहदी बताने में स्वयं शांती कुमार भी असमर्थ दिखाई दिया । उसने अपने प्रतिपरीक्षक में यह स्वीकार किया है कि मैं खेत की चौहदी नही

बता सकता । मैं खेत पर जाकर यह बता सकता हूँ कि यह खेत मेरा है । उसने यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि जयसिंह के कहने पर एक साल भाड़े पर पाते की जुताई थी। आवेदक क्र0 1 नरेन्द्र सिंह ने अपने कथन में यह बताया कि बयनामा के कुछ पैसे घर पर दे दिये थे और कुछ पैसे ऑफिस के बार दिये थे, किन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने पैसे ऑफिस के बाहर दिये और कितने पैसे घर पर दिये थे। इसी प्रकार नरेन्द्र पुत्र लूटरी सिंह ने अपने कथन के प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बयनामा के बाद मैंने कब्जा नहीं लिया और विवादित भूमि बंजर पड़ी है । अनावेदकगण द्वारा अपने समर्थन में ग्राम पंचायत तरसोखर का पंचनामा प्रस्तुत यह प्रमाणित किया है कि विवादित भूमि पर अवधेश सिंह आदि का विगत 15 साल से कब्जा है । जहां एक तरफ अनावेदक यह सिद्ध कर रहा है कि विवादित भूमि पर फसल खड़ी है वहीं दूसरी ओर आवेदकगण का यह कहना है कि 15 साल से भूमि बंजर बड़ी है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परीक्षण नहीं किया गया है । यदि ऐसा करते तो निश्चित रूप से प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु विचारण न्यायालय को लौटाते।

6/ अपर आयुक्त ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेख का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया गया है। अपर आयुक्त के आदेश कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है । अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों को विधिसम्मत नहीं माना है। इसी कारणवश अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश क्रमशः 29.01.2004 एवं 13.11.2003 निरस्त किया है। मैं अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तित आदेश से सहमत हूँ । क्योंकि प्रत्यावर्तन आदेश में साधारणतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि वह आदेश अनावश्यक हो एवं विवाद के निराकरण के लिये किसी जांच की आवश्यकता दर्शित न होती हो।

7/ ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 27-05-2005 विधि संगत होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर